<u>विज्ञापन प्रारुप</u>

उपायुक्त कार्यालय, जीन्द तथा आई0टी0 सोसायटी जीन्द द्वारा कार्यालय प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीद किया जाना हैं। जिसकी खरीद हेतू लघु अवधि निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक पार्टी अपनी निविदाएं उपायुक्त कार्यालय, जीन्द में दिनांक 09.12.2011 को 12.00 बजे तक या इससे पूर्व दे सकते हैं। इस फनीर्चर को खरीदने हेतू फर्मों से सील बन्द कुटेशन ही स्वीकृत किये जाएंगे तथा न्यूनतम कुटेशन को ही स्वीकार किया जाएगा। अगर कमेटी न्यूनतम रेट से भी सहमत नहीं होगी तो न्यूनतम रेट की निविदांए की बोली भी करवाई जा सकती हैं। सामान के सैम्पल जिला ई–दिशा केन्द्र, कमरा नं0 108, भू–तल लघु सचिवालय, जीन्द में उपलब्ध है। इस बारे विस्तृत जानकारी नियम और शर्तो उपायुक्त कार्यालय,जीन्द जिला नाजर शाखा जीन्द/आई0टी0सोसायटी, जीन्द से प्राप्त की जा सकती हैं तथा जिला जीन्द की वैब साईट http://jind.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। उपलब्ध निविदाएं उसी दिन दिनांक 09.12.2011 को सांय 3.00 बजे खोली जाएगी।

-sd-

कृतेः उपायुक्त, जीन्द।

नियम व शर्ते

1. उपायुक्त कार्यालय, जीन्द/ जिला आई0टी0 सोसायटी, जीन्द से कान्ट्रैक्ट प्राप्त करने की इच्छुक फर्म अपने कुटेशन के साथ 25000/– रू0 का उपायुक्त, जीन्द के नाम का देय डिमाण्ड ड्राफट साथ लगाएगें। जिस फर्म को कान्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसको 50000/– रू0 जमानत राशि जमा करवानी होगी तथा उपरोक्त 25000/– रू0 की राशि में समायोजित कर ली जाएगी तथा बाकी 25000/– रू0 फर्म कान्ट्रैक्ट मिलने के 10 दिन के अन्दर–अन्दर जमा कराने होगे। जिन फर्मो को कान्ट्रैक्ट नही मिलेगा उनको 25000/– रू0 का ड्राफट वापिस कर दिया जाएगा।
2. खरीदे जाने वाला सामान इन्यादि की संख्या निर्धारण के बारे में कोई शर्त मान्य नही होगी।
3. जो भी सामान रेट कान्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली फर्म द्वारा सप्लाई किया जाएगा उसकी संख्या, गुणवता, सामान समय पर सप्लाई ना करना तथा अन्य प्रकार की कमी की सूरत में सामान दोबारा सप्लाई करना होगा। अगर फिर भी उक्त कमियों में सुधार नही होगा तो रेट कान्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।
4. समान की सप्लाई जिला उपायुक्त कार्यालय, जीन्द/आई0टी0 सोसायटी, जीन्द में करनी होगी।
5. उपायुक्त एंव चेयरमैन जिला आई0टी0 सोसायटी, जीन्द को अधिकार होगा कि वह कभी भी पूर्व सूचना दिये रेट कान्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है।
6. जिस फर्म को कान्ट्रैक्ट दिया जाएगा अगर वह फर्म उपायुक्त कार्यालय/आई0टी0 सोसायटी द्वारा मांग की गई मात्रा में तथा निर्धारित समय में अगर सामान उपलब्ध नही करवायेगी तो फर्म को रेट कान्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।
7. सूचि में दर्शाए गए सभी सामान के सैम्पल उपायुक्त कार्यालय/आई0टी0 सोसायटी द्वारा फर्मो को दिखाए जाएगें। उनके रेट तथा गुणवता के बारे में कमेटी मूल्यांकन करेगी।
8. सामान उपलब्ध करवाने उपरान्त ही बिलो की राशि की अदायगी की जाएगी।
9. उपरोक्त सामान सरकार की हिदायत अनुसार फार्म–डी पर ही टैक्स अदा किया जाऐगा।
10. उपरोक्त शर्तो के अलावा अगर कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें उपरोक्त शर्ते कारगर नही होगी तो उपायुक्त महोदय द्वारा लिया गया निर्णय रेट कान्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली फर्म को मान्य होगा।
11. अगर उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते मंजूर हो तो उसके लिए फर्म को शपथपत्र देना होगा।
12. सामान व सैम्पल देख लिया हैं। कुटेशन में लिखा जाए।